177

संख्या- /X-2-2013-12(85)/2012

प्रेषक,

मनोज चन्द्रन,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2 **देहरादून** **दिनांक // फरवरी, 2013**

विषयः- वन विभाग के अनुदान सं0-27 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 के राज्य सेक्टर के आयोजनागत पक्ष की योजना ''वनों की अग्नि से सुरक्षा'' के राजस्व पक्ष में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश सं0-321/XXVII(1)/2012 दिनांक 19 जून, 2012 एवं शासनादेश सं0-607/XXVII(1)/2013 दिनांक 01 जनवरी, 2013 तथा अंपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन के पत्रांक नि-1050/3-5(रा0सै0-वनाग्नि सुरक्षा) दिनांक 26 दिसम्बर, 2012 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग के आयोजनागत योजना **''वनों की अग्नि से सुरक्षा''** में चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में पूर्व में निर्गत वित्तीय स्वीकृतियों के अतिरिक्त प्राविधानित आय-व्ययक (प्रथम अनुपूरक अनुदान सहित) के सापेक्ष **₹ 9,53,00,000/- (₹ नौ करोड़ तिरेपन लाख मात्र)** की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं :-

1. उक्त स्वीकृत व्यय चालू योजनाओं पर ही किया जाये और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यो के कार्यान्वयन के लिए न किया जाय तथा विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-321/XXVII(1)/2012 दिनांक 19 जून, 2012 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सक्षम स्तर की अनुमति/यथा स्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही किया जाय। शासन द्वारा वांछित सूचनायें एवं विवरण/मासिक प्रगति विवरण निर्धारित प्रारूप व समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय. निर्माण कार्यों हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आगंणनों का सक्षम/ समुचित/विनिर्धारित स्तर से परीक्षणोंपरान्त सक्षम स्तर से तकनीकी, वित्तीय तथा प्रशासनीक स्वीकृति प्राप्त करते हुये आहरण व व्यय किया जायेगा.
2. बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है. अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय. धनराशि का आहरण एवं व्यय अनुमोदित परिव्यय की सीमान्तर्गत किया जायेगा तथा पूर्व समय में अवमुक्त धनराशियों के विरूद्ध वित्तीय/ भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करा दिया जायेगा. यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि योजना की प्रगति तथा उद्देश्यों की पूर्ति संतोषजनक है।
3. यह संज्ञान में आया है कि धनराशि विभागाध्यक्षों के निवर्तन पर रखने के उपरान्त भी विभागाध्यक्षों द्वारा वह धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों के निवर्तन पर नहीं रखी जाती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है. अतः

आपके निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय, जिससे की फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो.

4. आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण बी0एम0–17 पर प्रत्यके माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा.

5. बी0एम0–13 पर नियमित रूप से प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को विलम्बतम 05 तारिख तक पूर्व माह की सूचना उपलब्ध कराई जाय.

6. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय को फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा, जिससे की राज्य स्तर पर कैश–फ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो.

7. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि मजदूरी तथा व्यावसायिक सेवाओं के लिये भुगतान मदों के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से कार्मिकों की संख्या सम्बन्धित ईकाई में समकक्ष स्तर के स्वीकृत परन्तु रिक्त पदों की अधिकतम सीमा अन्तर्गत अथवा वित्त विभाग की पूर्व सहमति से स्वीकृत सीमा, इनमें से जो भी कम हो, के अन्तर्गत ही रहेगी।

8. मानक मदों के आहरण प्रणाली के समबन्ध में शासनादेश सं0–ब–06/X–2–2010–12(11)/2009 दिनांक 31 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी.

9. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली हाय.

10. योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहां आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय.

11. धनराशि का आहरण/व्यय यथा आवश्यकता ही किया जायेगा.

12. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय.

13. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति का आवंटन पत्र कम्प्यूटर के माध्यम से जनरेट किया गया है एवं इसका Allotment Id S1302270171 है। आप भी अपने स्तर से अधिनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों को कम्प्यूटर के माध्यम से online बजट आवंटन करना सुनिश्चित करेंगे.

14. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों से कराये जाने वाले कार्यों की सूचना यथावश्यता अनुसार सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–1638/XXX–1–12(25)2011, दिनॉक 8 दिसम्बर, 2011 द्वारा अपेक्षित राज्य सरकार की वेबसाइट www.ua.nic.in तथा विभाग की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जायेगी और उन्हें समय–समय पर अध्यावधिक किया जायेगा.

15. योजना का नियोजन विभाग के माध्यम से स्वतंत्र मूल्याकंन कराने पर विचार किया जाय.

2– उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के स्वीकृत आय–व्ययक (प्रथम अनुपूरक अनुदान सहित) के सापेक्ष अनुदान संख्या–27 के लेखा शीर्षक 2406–वानिकी तथा वन्य जीवन 01–वानिकी 800–अन्य व्यय 03–वनों की अग्नि से सुरक्षा हेतु निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार संगत मदों के नामे डाला जायेगा। इस प्रयोजन हेतु Online Budget Allotment की हार्ड कॉपी भी संलग्न की जा रही है:–

(धनराशि ₹ हजार में)

योजना का नाम/मानक मद	बजट प्राविधान	प्रथम अनुपूरक अनुदान से प्राप्त बजट	आयोजनागत पक्ष का कुल बजट	निर्गत धनराशि	अवशेष बजट
2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 01-वानिकी 800-अन्य व्यय 03-वनों की अग्नि से सुरक्षा					
13- टेलीफोन पर व्यय	500	0	500	500	0
14- कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का क्रय	1	0	1	0	0
15- गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1000	500	1500	1000	500
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	150	300	450	150	300
20-सहायक अनुदान/ अशंदान/ राज्य सहायता	0	10000	10000	0	10000
25- लघु निर्माण कार्य	1	29000	29001	0	29000
26- मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र	3300	15000	18300	3300	15000
29- अनुरक्षण	3500	37500	41000	3500	37500
42- अन्य व्यय	550	3000	3550	550	3000
44- प्रशिक्षण व्यय	200	0	200	200	0
46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय	200	0	200	200	0
47- कम्प्यूटर अनुरक्षण /तत्सम्बन्धी स्टैशनरी का क्रय	80	0	80	80	0
योग	**9482**	**95300**	**104782**	**9480**	95300

(वर्तमान वित्तीय स्वीकृति ₹ नौ करोड़ तिरेपन लाख मात्र)

3- ये आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0-160(1)(P)/XXVII(4)/2012 दिनांक 11 फरवरी, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(मनोज चन्द्रन)
अपर सचिव

313

संख्या– (1)/X–2–2012, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी–1/105, इन्दिरानगर, देहरादून.
2. महालेखाकार(ए एण्ड ई), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून.
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून.
4. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून.
5. मुख्य वन संरक्षक, सर्तकता एवं कानून प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून.
6. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड.
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड.
8. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून.
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून.
11. सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड.
12. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
13. गार्ड फाईल.

आज्ञा से,

(मनोज चन्द्रन)
अपर सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20122013

Secretary, Forest (S016)

आवंटन पत्र संख्या - **S1302270171**

अनुदान संख्या - **027**

अलोटमैंट आई डी - **S1302270171**

आवंटन पत्र दिनांक - 11-Feb-2013

HOD Name - Principal Chief Conservator of Forest (4260)

1: **लेखा शीर्षक -** 2406 - वानिकी तथा वन्य जीवन — 01 - वानिकी

800 - अन्य व्यय — 03 - वनों की अग्नि से सुरक्षा(राज्य सेक्टर)

00 - वनों की अग्नि से सुरक्षा(राज्य सेक्टर)

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
13 - टेलीफोन पर व्यय	500000	0	500000
15 - गाड़ियों का अनरक्षण और पेट	1000000	500000	1500000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	150000	300000	450000
20 - सहायक अनदान/अंशदान/राज	0	10000000	10000000
25 - लघ निर्माण कार्य	0	29000000	29000000
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण औ	3300000	15000000	18300000
29 - अनरक्षण	3500000	37500000	41000000
42 - अन्य व्यय	550000	3000000	3550000
44 - प्रशिक्षण व्यय	200000	0	200000
46 - कम्प्यटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	200000	0	200000
47 - कम्प्यटर अनरक्षण/तत्सम्बन्ध	80000	0	80000
	9480000	**95300000**	**104780000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 95300000